FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला

रामी बनाम तहसीलदार

मुकद्दमा प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट 7/23 सन्

तारीख व नम्बर	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीया रामी पुत्री मोहन लाल ब्राह्मण निवासी किशनकेरी के अधिवक्ता महेश व्यास व प्रीति रलवाया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी अभिधारी तहसीलदार डूंगला को पक्षकार बनाये जाने से विपक्षी अभिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/545 दिनांक 22.11.2023 को जवाब प्रेषित किया गया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार डूंगला ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट में वर्णित आराजी नम्बर 563/569 रकबा 0.5100 है भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। तथा प्रार्थीया को मिसल नम्बर 665/2001 दिनांक 29.11.2001 को मूल आराजी नम्बर 569 जिसमें से 2 बीघा भूमि का आवण्टन हुआ है जिसका वर्तमान आराजी नम्बर 563/569 रकबा 0.5100 है भूमि है जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे में हो रही है जो सही है। जबकि प्रार्थीया मौके पर ग्राम किशनकेरी की आराजी नम्बर 565 में काबिज हो काश्त कर रहा है तथा मौके पर मकान भी बना रखा है। प्रार्थीया आवण्टित भूमि पर काबिज काश्त नहीं होकर ग्राम किशनकेरी की चरागाह आराजी नम्बर 565 में काबिज काश्त है से चरागाह भूमि में तरमीम छोड़ि घटी गई है।	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Parshwar Lal Khatik
Date: 2024.09.30 16:28:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner